रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227359 CG-DL-E-03062021-227359

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] No. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सा.का.िन. 385(अ).—केंद्रीय सरकार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020(2020 की 36) की धारा 155, 158 और 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1923 का 8) बनाए गए --

- (i) कर्मचारी प्रतिकर नियम, 1924;
- (ii) कर्मचारी प्रतिकर(धन का अंतरण) नियम, 1935; और
- (iii) कर्मचारी प्रतिकर(कार्यवाही स्थल) नियम, 1996;

के अतिक्रमण में, जिनका निरसन, सिवाय ऐसे अतिक्रमण के पहले किए गए कार्यों या किए जाने वाले लोप के, उक्त सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 164 के द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित प्रारूप नियमों को, जिन्हें केंद्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, धारा 158 द्वारा यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अधिसूचित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित इस

2988 GI/2021 (1)

प्रारूप की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालिस दिनों की समाप्ति के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव श्री राहुल भगत, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कक्ष संख्या 302, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को अथवा ई-मेल– rahul.bhagat@ips.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। आपित्तयों और सुझावों को एक प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति अथवा संगठन के नाम और पते तथा कॉलम (ii) में उक्त अध्याय, नियम अथवा उप-नियम जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है और कॉलम (iii) में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित नियम अथवा उप-नियम और कॉलम (iv) में संशोधन के कारणों का उल्लेख होना चाहिए;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय I प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.- (1) इन नियमों को सामाजिक सुरक्षा संहिता(कर्मचारी प्रतिकर) (केंद्रीय) नियम, 2021 कहा जाए।
 - (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
 - (3) ये सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक विषय या संदर्भ में अपेक्षित न हो,
 - (क) "अपील" से धारा 99 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार इन नियमों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को करने के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप से अथवा किसी भी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की श्रेणी के लिए नामोद्दिष्ट कर सकती है;
 - (ग) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020(2020 का 36) अभिप्रेत है;
 - (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII के प्रयोजनार्थ धारा 91 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ङ) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से इस संहिता के प्रयोजनार्थ किसी भी रूप में ईमेल से प्रस्तुत सूचना अथवा निर्धारित पोर्टल या डिजिटल भुगतान अपलोड अभिप्रेत है;
 - (च) "प्रपत्र" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (छ) "अनुसूची" से इस संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (ज) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;
 - (झ) "निर्दिष्ट" से केंद्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के आदेश अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है; और
 - (ञ) "अंतरणकर्ता प्राधिकारी" से किसी भी देश में किसी भी प्राधिकारी से अभिप्रेत है जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत उस देश में कर्मचारियों से संबंधित कानून के अन्तर्गत कोई भी प्रदत्त एकमुश्त

धनराशि को अंतरित करता है या अंतरण कारित करता है और वह भारत में निवास कर रहे अथवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के हितलाभ के लिए लागू है।

- (2) इन नियमों में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को इनमें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमश: वही अर्थ होगा जो संहिता में दिया गया है।
- 3. धारा 77 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर.- यदि धारा 77 की उप-धारा (3) के अंतर्गत देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा तीस दिन की अवधि में नहीं किया जाता है, तब नियोक्ता, प्रतिकर की देय तारीख से भुगतान की जाने की तारीख तक बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।
- 4. धारा 92 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नोटिस की रीति और उप-धारा (3) के अन्तर्गत धन अंतरण की रीति.- धारा 92 की उप-धारा (1) के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य सक्षम अधिकारी को भेजी गई धनराशि या तो प्रेषण रसीद द्वारा अथवा ई-अंतरण द्वारा अथवा नेट बैंकिंग द्वारा अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अंतरित की जाएगी जैसा कि धन अंतरणकर्ता सक्षम प्राधिकारी निर्देश देता है।
- 5. धारा 93 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दावे अथवा निपटारे के लिए आवेदन का प्रपत्र, रीति और शुल्क.- (1) धारा 93 में संदर्भित किसी भी प्रकृति के आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के पास इलैक्ट्रोनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जा सकता है अथवा उसके समक्ष अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जा सकता है, और ऐसा भेजा गया या प्रस्तुत किया आवेदन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा रूप से निदेशित न करे, प्रपत्र-क में दो प्रतियों में किया जाए और उस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - (2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ **प्रपत्र-ख** में इस आशय का एक प्रमाणपत्र, जिस पर आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, कि आवेदन में निहित तथ्यों का विवरण उसके अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।
 - (3) जब राहत के लिए आवेदन प्रलेख पर आधारित हो, तब उस प्रलेख को आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।
- 6. धारा 159 के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई धनराशि के अंतरण के लिए अन्य देशों के साथ व्यवस्था लागू करने के लिए नियम.- (1) जब कोई रकम इन नियमों के अनुसार भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है, तब ऐसे प्रेषण की लागत को प्रेषित की गई रकम से काटा जा सकता है।

इन नियमों के अनुसार भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्राधिकारी को प्रेषित धनराशि प्रेषण अंतरण रसीद अथवा धनादेश के द्वारा प्रेषित की जाएगी।

- (2) इस संहिता के अंतर्गत जब प्रतिकर के रूप में सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई पूरी एकमुश्त धनराशि या उसका भाग किसी भी अन्य देश में निवास कर रहे या करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होता है, तब सक्षम प्राधिकारी ऐसी देय रकम को उस देश में अंतरण के लिए आदेश कर सकता है।
- (3) जब सक्षम प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अन्तर्गत किसी भी रकम के अंतरण का आदेश कर दिया है, तब वह उस मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक ज्ञापन तैयार कराएगा और अपने हस्ताक्षर से उस पर पारित आदेशों और प्रत्येक व्यक्ति के नाम और पते को, जिनको भुगतान किया जाना है, प्रमाणित करेगा।
- (4) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, तब वह ज्ञापन को दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेगा और अंतरित की जाने वाले रकम को या तो अपने पास रखेगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निदेशों के अनुसार उसका निपटारा करेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं ही प्राधिकृत अधिकारी है, तब वह उप-नियम (5) में किए उपबंध के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी, अपनी संतुष्टि करने के बाद कि ज्ञापन पूरा है, उसे अग्रेषित करेगा और रकम को ऐसे सुरक्षित प्रेषण साधन के द्वारा, जैसा उस देश की ओर से नियुक्त प्राधिकारी की सुविधा के लिए ठीक समझे, जिसे इसे रकम अंतरित की जानी है, प्रेषित करेगा अथवा प्रेषित कराएगा जिसका इससे संबंध है, अथवा यदि

कोई ऐसा प्राधिकारी नहीं है तब राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है और इसी के साथ संबोधित प्राधिकारी से यह अनुरोध करेगी कि –

- (क) ज्ञापन में निहित निदेशों के अनुसार की जाने वाली भुगतान की व्यवस्था करे; और
- (ख) ज्ञापन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इसे प्रस्तुत करे और किसी भी रकम को वापस करे जो किसी भी कारण से असंभव है।
- (6) (क) प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह सक्षम अधिकारी नहीं है जिसके साथ मामला शुरू हुआ है, उप-नियम (5) के अंतर्गत किए गए अनुरोध के उत्तर में प्राप्त किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे सक्षम अधिकारी के पास अग्नेषित करेगा।
 - (ख) उप-नियम (5) के अनुसार वापस की गई किसी भी रकम का निपटान संहिता के अनुसार किया जाएगा।
- (7) (क) प्राधिकृत अधिकारी अंतरणकर्ता अधिकारियों से धनराशि प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकारी होगा।
 - (ख) यदि कोई सक्षम अधिकारी अथवा अन्य सरकारी सेवक, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं हैं, अंतरणकर्ता प्राधिकारी से कोई रकम प्राप्त करता है तब वह ऐसी रकम को इससे संबंधित कागजातों के साथ निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास अग्रेषित करेगा और रकम तथा कागजातों के निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के निदेश प्राप्त करेगा और उसके अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- (8) प्राधिकृत अधिकारी स्वयं किसी भी रकम को या उसके किसी भाग को, जिसे वह प्राप्त करता है, का निपटान कर सकता है अथवा वह उप-नियम (7) के अंतर्गत जिसका नियंत्रण धारित करता है अथवा ऐसे किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारियों के पास, जिसे वह उचित समझे, निपटान के लिए इसे या इसके किसी भाग को भेज सकता है।
- (9) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त सभी रकमों का निपटान यथा संभव इस संहिता के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा:

यह उपबंध किया जाता है अंतरणकर्ता से रकम के प्रशासन की रीति के संबंध में प्राप्त निदेशों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया जाएगा।

- (10) (क) प्राधिकृत अधिकारी अंतरण प्राधिकारी को यह दर्शाते हुए रिपोर्ट अग्रेषित करेगा कि उससे प्राप्त रकम का निपटान किस प्रकार किया गया है।
 - (ख) किसी भी सक्षम प्राधिकरी ने, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, ने रकम के किसी भी भाग का निपटान किया है वह रकम के भाग के निपटान के बारे में दो प्रतियों में एक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजेगा और यदि संहिता की धारा 92 के अनुसार उसे यह रकम अन्य ऐसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई है तब वह अपनी रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करेगा।
- (11) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त रकम का कोई भाग जो कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात अवितरित रह जाएगा उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके निदेश के तहत अंतरणकर्ता प्राधिकारी को वापस किया जाएगा।
- 7. **कार्यवाही का स्थल और मामलों का हस्तांतरण** : (1) **आवेदन पर कार्रवाई करना**:- (क) धारा 90 या धारा 93 के अंतर्गत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा उस क्षेत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी जिसमें
 - (i) दुर्घटना हुई, जिससे चोट लगी; अथवा
 - (ii) कर्मचारी या उसकी मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर का दावा करने वाले आश्रित सामान्यत: निवास करते हैं; अथवा
 - (iii) नियोक्ता का पंजीकृत कार्यालय है:

यह उपबंध किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी से भिन्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अथवा उसके द्वारा, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर है जिसमें दुर्घटना घटी है, **प्रपत्र-ग** में उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को उसके द्वारा नोटिस दिए बिना किसी भी मामले पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ख) धारा 92 की उप-धारा (1) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर सकता है अथवा वह धारा 91 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत शुरू की गई पूर्व कार्यवाहियों को जारी रख सकता है जैसे कि वह मामला या उसका कोई हिस्सा उसके समक्ष लाया गया था, यदि वह इस बात से संतुष्ट होता है कि इसके द्वारा पक्षों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(2) अभिलेखों या धनराशि का अंतरण:- (क) संहिता के अंतर्गत यदि किसी मामले को सक्षम प्राधिकारी से भिन्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार है जहां पर दुर्घटना हुई है, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तब पूर्ववर्ती मामले के उचित निपटान के लिए उत्तरवर्ती से उसके पास रखे किसी भी अभिलेख अथवा धन के अंतरण सहित प्रपत्र-घ में एक विस्तृत रिपोर्ट मांग सकता है और ऐसा अनुरोध प्राप्त करने पर वह उसका पालन करेगा।

यह उपबंध किया जाता है कि उस क्षेत्र में, जिसमें दुर्घटना हुई है, आरोप निर्धारित करने के लिए अथवा प्रतिकर की राशि के निर्धारण के लिए आगे ही जांच आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी, जहां पर दुर्घटना हुई है, से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी जांच करे और नोटिस अथवा आदेश जारी करे जो ऐसी जांचों के प्रयोजनार्थ आवश्यक है।

(ख) धारा 81 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धनराशि का प्रेषण दूसरे सक्षम प्राधिकारी के पास अंतरण रसीद द्वारा अथवा ई-अंतरण अथवा नेट बैंकिंग अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

प्रपत्र-क

[नियम 5(1) देखें] कर्मचारी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी

आवेदक पर निवास कर रहा है।

बनाम

विरोधी पक्ष पर निवास कर रहा है।

यह निवेदन किया जाता है कि:-

- (1) आवेदक, कर्मचारी के रूप में (ठेकेदार के साथ) विरोधी पक्ष द्वारा नियोजित है, को वर्ष 20--- के ---- माह के -----दिन रोजगार में और रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगी है। चोट का कारण था (यहां पर सामान्य भाषा में चोट का कारण संक्षेप में लिखें)
- (2) आवेदक को निम्नलिखित चोट लगी नामत:-
- (3) आवेदक के मासिक वेतन की राशि ------ है। आवेदक 15 वर्ष की आयु से अधिक /कम है।
- (4) (क) दुर्घटना का नोटिस वर्ष 20--- के ---- माह के ----- दिन दिया गया था।
 - (ख) नोटिस यथा व्यवहार्य दिया गया।
 - (ग) दुर्घटना का नोटिस (समय पर) निम्नलिखित के कारण नहीं दिया गया।
- (5) तदनुसार आवेदक निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार है:-
 - (क) ----- से ----- तक ----- रुपये का आधा मासिक भुगतान
 - (ख) ---- रुपये का एकम्श्त भुगतान

(6) आवेदक ने अनुबंध के द्वारा समझौता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं नामत:---- लेकिन प्रश्नगत विवाद पर ----- के कारण समझौता असंभव सिद्ध हुआ है।

*अत: आपसे अनुरोध है कि विवाद में निम्नलिखित प्रश्नों को निर्धारित करें नामत: :-

- (क) क्या आवेदक संहिता के अर्थ के अधीन कर्मचारी है;
- (ख) क्या दुर्घटना आवेदक के रोजगार में या उसके दौरान हुई है;
- (ग) क्या दावाकृत प्रतिकर की राशि देय है या उस राशि का कोई हिस्सा देय है;
- (घ) क्या विरोधी पक्ष ऐसे प्रतिकर जो देय है, के लिए उत्तरदायी है;
- (ङ) इत्यादि , (यथा अपेक्षित)

दिनांक -----20---

आवेदक

*जो खंड लागृ न हो उसे काट दें।

प्रपत्र- ख

[नियम 5(2) देखें] प्रतिकर जमा करने के आदेश के लिए आवेदन

सेवा में

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी

आवेदक पर निवास कर रहा है।

बनाम

विरोधी पक्ष पर निवास कर रहा है।

यह निवेदन किया जाता है कि:-

- (1) कर्मचारी को (ठेकेदार के साथ) विरोधी पक्ष द्वारा नियोजित वर्ष 20--- के ---- माह के -----दिन रोजगार में और रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगी जिसके कारण उसकी वर्ष 20---- के ---- माह के ---- दिन मृत्यु हो गयी चोट का कारण था (यहां पर सामान्य भाषा में चोट का कारण संक्षेप में लिखें)
- (2) आवेदक मृतक कर्मचारी के ---- होने के नाते आश्रित हैं।
- (3) मृतक का मासिक वेतन ---- रुपये था। मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष की आयु से अधिक /कम था।
- *(4) (क) दुर्घटना का नोटिस वर्ष 20--- के ---- माह के -----दिन दिया गया था।
 - (ख) नोटिस यथा व्यवहार्य दिया गया।
 - (ग) दुर्घटना का नोटिस (समय पर) निम्नलिखित के कारण नहीं दिया गया।
- (5) अपनी मृत्यु से पहले मृतक ने प्रतिकर के रूप में कुल ---- रुपये की राशि प्राप्त की थी। तदनुसार आवेदक ---- रुपये का एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रतिकर या अन्य प्रतिकर, जिसके लिए वह हकदार हो सकता है, आवेदक को प्रदान करें।

दिनांक:

आवेदक

* जो खंड लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र-ग

[नियम 7(1)(क) देखें]

आवेदक----- द्वारा ---- के विरुद्ध प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त आवेदक ने यह दावा किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII की धारा 92 की उप- धारा (1) खंड (ख) अथवा (ग) के अंतर्गत आवेदन करने का हकदार है:

और अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि उक्त आवेदक उपर्युक्त कथित दावा प्रस्तुत करने का हकदार है;

इसलिए अब कर्मचारी प्रतिकर ------ के लिए सक्षम प्राधिकारी /----- सरकार को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी संहिता के अंतर्गत यथा उपबंधित आवेदक के दावे के निपटान का प्रस्ताव करता है।

दिनांक:

सक्षम प्राधिकारी

प्रपत्र-घ

[नियम 7(2)(क) देखें]

सेवा में.

महोदय.

तारीख ----- को -----बजे हुई दुर्घटना (यहां पर परिसर का विवरण दें), जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु हो गई है /अपंग हो गया है, की रिपोर्ट नीचे दी गई है:-

- 1. (क) कर्मचारी का नाम------ लिंग ----- आयु-----
 - मासिक वेतन (ख)
 - रोजगार की प्रकृति (ग)
 - (ঘ) नियोक्ता का नाम
 - (ङ) कर्मचारी/आश्रितों का पूरा डाक का पता (स्थानीय और स्थायी दोनों)
 - कारखाने/प्रतिष्ठान का पूरा डाक पता जहां पर इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है (च)
- हालात जिनसे कर्मचारी की मृत्यु हुई /अपंग हुआ। 2.
 - दुर्घटना का समय (क)
 - (ख) स्थान जहां पर दुर्घटना हुई
 - जिस रूप में मृतक नियोजित था /थे: (ग)
 - दुर्घटना का कारण (घ)
- धारा 81 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास नियोक्ता द्वारा जमा की गई धनराशि 3.
- भुगतान किए गए प्रतिकर का ब्यौरा, यदि कोई है तो 4.
 - मृतक कर्मचारी के आश्रितों के हितलाभ के लिए निवेश की गई धनराशि का विवरण
- अग्रेषित प्रलेख (मूल रूप में) निम्नलिखित हैं:-5.

- (क) मृत्यु प्रमाण पत्र
- (ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से अपंगता प्रमाण पत्र
- (ग) नियोक्ता द्वारा जमा प्रतिकर की रसीद
- (घ) संवितरण का विवरण
- (ङ) कर्मचारी/आश्रितों से प्रतिकर की रसीद
- (च) अनुबंध का ज्ञापन, यदि कोई है तो

दिनांक:

सक्षम प्राधिकारी

[फा. सं. आर 11011/01/2021-एसएस-II] अनुराधा प्रसाद, विशेष सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

- **G.S.R. 385(E).** The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 155, 158 and 159 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the
 - (i) Employee's Compensation Rules, 1924;
 - (ii) Employee's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935; and
 - (iii) Employee's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996;

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) which is repealed by section 164 of the said Code on Social Security, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Rahul Bhagat, Director, Ministry of Labour and Employment, Room No.302, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 or by e-mail – rahul.bhagat@ips.gov.in. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person/organization, column (2) specifying the chapter and rule or sub-rule which is proposed to be modified, column (3) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (4) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

CHAPTER I

PRELIMINARY

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Code on Social Security (Employee's Compensation) (Central) Rules, 2021.
 - (2) They extend to the whole of India.
 - (3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires,
 - (a) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 99;

- (b) "Authorized Officer" means any officer whom the State Government may designate either generally or in respect of any area or class of areas, for the purpose of performing the functions assigned by these rules to the authorized officers;
- (c) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (d) "Competent Authority" means an Authority appointed under section 91 for the purpose of Chapter VII of Code on Social Security, 2020 by the State Government;
- (e) "electronically" means any information submitted by e-mail or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;
- (f) "form" means a form appended to these rules;
- (g) "schedule" means the schedule of the Code;
- (h) "section" means a section of the Code;
- (i) "specified" means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government; and
- (j) "Transferring Authority" means any authority in any country who transfer or caused to be transferred any lump sum awarded under the law relating to employees compensation under the Code on Social Security, 2020 in such country and applicable for the benefit of any person residing or about to reside in India.
- (2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.
- **3.** Rate of interest to be paid by the employer under clause (a) of sub-section (3) of section 77.- If the amount of compensation payable under sub-section (3) of section 77 is not paid by the employer within the period of thirty days, the employer shall pay, from the date on which the compensation become payable to the date on which it is paid, simple interest at the rate of twelve per cent. per annum or any other rate notified by the Central Government from time to time.
- **4.** Manner of notice under sub-section (1) and the manner of transmitting money under sub-section (3), of section 92.- Money transmitted by one competent authority to another in accordance with sub-section (3) of section 92 shall be transmitted either by remittance receipt or by e-transfer or by net banking or by Demand Draft, as the competent authority transmitting the money may direct.
- **5. Form, manner and fee for application for claim or settlement under sub-section (3) of section 93.-** (1) Any application of the nature referred to in section 93 may be sent to the competent authority by registered post or electronically or may be presented to him or to any of his subordinates authorized by him in this behalf, and, if so sent or presented, shall, unless the competent authority otherwise directs, be made in duplicate in **Form-A**, if any, and shall be signed by the applicant.
 - (2) There shall be appended to every such application a certificate in **Form-B**, which shall be signed by the applicants to the effect that the statement of facts contained in the application is to the best of his knowledge and belief, accurate.
 - (3) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application.
- **6.** Rules to give effect to arrangements with other countries for the transfer of money paid as compensation under section 159.- (1) When any sum is transmitted by any authority in India to any other authority in accordance with these rules, the costs of such transmission may be deducted from the sum so transmitted.

Money transmitted by any authority in India to any other authority in India in accordance with these rules, shall be transmitted by remittance transfer receipt or by money order.

- (2) When the whole or any part of a lump sum deposited with a competent authority for payment as compensation under the Code is payable to any person or persons residing or about to reside in any other country, the competent authority may order the transfer to that country of the sum so payable.
- (3) When the competent authority has ordered the transfer of any sum under sub-rule (2), he shall cause to be prepared and shall certify under his hand a memorandum containing a brief statement of the facts of the case, of the orders passed upon it and of the name and address of each person to whom payment is to be made.
- (4) If the competent authority is not himself the authorised officer he shall forward the memorandum in duplicate to the authorised officer and may either remit the sum to be transferred to the authorised officer

- or retain it and dispose of it in accordance with the directions of the authorised officer. If the competent authority is himself the authorised officer, he shall proceed as provided in sub-rule (5).
- (5) The authorised officer, after satisfying himself that the memorandum is complete, shall forward it and remit or cause to be remitted the sum to which it relates by such means of safe transmission as he may consider convenient to the authority appointed in this behalf for the country to which the sum is to be transferred, or if no such authority as the State Government may, by general or special order, direct, and shall at the same time request the authority addressed—
 - (a) to arrange for payment to be made in accordance with the directions contained in the memorandum; and
 - (b) to furnish him with a report of the action taken upon the memorandum and return any sum the payment of which is for any reason impossible.
- (6) (a) The authorised officer shall, if he is not the competent authority with whom the matter originated, forward to such competent authority a copy of any report received in response to a request made under sub-rule (5).
 - (b) Any sum returned in accordance with sub-rule (5) shall be disposed of in accordance with the Code.
- (7) (a) The authorised officer shall be the proper authority to receive moneys from transferring authorities.
 - (b) If any competent authority or other Government servant, not being the authorised officer, receives any sum from a transferring authority he shall either forward such sum, together with any papers relating thereto, to the authorised officer for disposal, obtain the instructions of the authorised officer as to the disposal of the sum and papers and act in accordance with his instructions.
- (8) The authorised officer may himself dispose of any sum or part of any sum which he receives or of which he assumes control under sub-rule (7) or may send it or any part of it for disposal to such competent authority or competent authorities as he considers proper.
- (9) All sums received from a transferring authority shall be disposed of as far as possible in accordance with the provisions of the Code and the Rules made thereunder:

Provided that the directions, if any, received from the transferring authority as to the manner in which the sum should be administered shall be complied with.

- (10) (a) The authorised officer shall forward to the transferring authority a report showing how the sum received from him has been disposed of.
 - (b) Any competent authority, not being the authorised officer who has disposed of any part of the sum, shall make a report in duplicate as to the disposal of that part to the authorised officer, and, if the sum was received by him from another such competent authority in accordance with section 92 of the Code, shall forward his report through that competent authority.
- (11) Any part of the sum received from the transferring authority which shall have remained undisbursed after the completion of the proceedings shall be returned to the transferring authority by, or under the direction of the authorised officer.
- 7. Venue of proceedings and transfer of matters: (1) Processing of an application: (a) An application under section 90 or section 93 shall be processed before or by a competent authority for the area in which—
 - (i) The accident took place which resulted in the injury; or
 - (ii) The employee or in case of his death the dependents claiming the compensation ordinarily reside; or
 - (iii) The employer has his registered office:

Provided that no matter shall be processed before or by a competent authority other than the competent authority having the jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in **Form-C** to the competent authority having jurisdiction over the area and the State Government concerned.

- (b) The competent authority under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 92 may initiate the proceedings afresh or he may continue the previous proceedings initiated under clause (a) of sub-section (1) of section 91 as if the same or any of its part had been taken before him if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be prejudiced.
- (2) Transfer of records or money:- (a) If any matter under the Code is required to be processed before or by a competent authority other than the competent authority having jurisdiction over the area in which the accident took place the former may for the proper disposal of the matter call for in Form-D a

detailed report including transfer of any records or money remaining with the latter and on receipt of such a request he shall comply with the same:

Provided that if any further enquiry is necessary in the area in which the accident took place for framing of issues or for determining the amount of compensation, the competent authority, before whom the application has been filed, may require the competent authority of the area in which the accident took place to conduct such enquiries and to serve such notices or orders as may be necessary for the purpose of such enquiries.

(b) Money deposited with one competent authority under section 81 shall be transmitted to another competent authority either by remittance transfer receipt or by e-transfer or by net banking or by demand draft.

FORM-A

[See Rule 5(1)]

Application for Compensation by Employee

To The Competent authority for Employee's Compensation.
Applicant residing at Versus
Opposite Party residing at
It is hereby submitted that: -
(1) The applicant, an Employee employed by (a contractor with) the opposite party on the day of 20 received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment. The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)
(2)The applicant sustained the following injuries namely:
(3) The monthly wages of the applicant amount to Rs The applicant is over/under the age of 15 years.
(4) (a) Notice of the accident was served on theday of
(b) Notice was served as soon as practicable.
(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.
(5) The applicant is accordingly entitled to receive:
(a) half monthly payment of Rsfrom theto
(b) a lump sum payment of Rs
(6)The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely, but it has proved impossible to settle the question in dispute because
*You are therefore requested to determine the following questions in dispute, namely:
(a) Whether the applicant is an Employee within the meaning of the Code;
(b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicants' employment;
(c) Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of that amount;
(d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due;
(e) etc., (as required)
Date 20 . Applicant

* Strike out the clauses which are not applicable.

FORM-B[See Rule 5(2)]
Application for order to Deposit Compensation

10	
The Competent author	ity for Employee's Compensation
Applicant	Residing at
Versus	
Opposite Party	Residing at
It is hereby submitted	that:
injury by accident arisi	oyed by (a contractor with) the opposite party on theday of, 20 received personal ing out of and in the course of employment resulting in his death on the day of cause of injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)
(2)The applicant(s) is/a	are dependant(s) of the deceased Employee being his
(3)The monthly wages his death.	of the deceased amount to Rs The deceased was over/under the age of 15 years at the time of
*(4)(a) Notice of the a	accident was served on theday of
(b) Notice was se	rved as soon as practicable.
(c) Notice of the a	ccident was not served (in due time) by reason of
	e his death received as compensation the total sum of Rs The applicant(s) is/are receive a lump sum payment of Rs
You are, therefore, req may be entitled.	uested to award to the applicant the said compensation or any other compensation to which he
Dated:	
	Applicant.
* Strike out the clauses	s which are not applicable.
	FORM-C [See Rule 7(1)(a)]
has claimed that he is	ompensation has been made by
And whereas the under	rsigned is satisfied that the said applicant is entitled to file the aforesaid claim;
Now, therefore, to ofprovided under the Co	is hereby given notice that the undersigned proposes to settle the claim of the applicant as
D 1	
Dated:	Competent authority

FORM-D		
[See Rule 7(2)(a)] To		
Sir,		
The report about an accident which occurred on		
1. (a) Name of the employee Sex Age (b) Monthly wages (c) Nature of employment (d) Name of the employer (e) Full postal address of the employee/dependents (local and permanent both). (f) Full postal address of the factory/establishment where its registered office is located.		
 2. The circumstances leading to death/disablement of the employee :— (a) Time of the accident (b) Place where the accident occurred (c) Manner in which deceased was/were employed at that time (d) Cause of the accident 		
3. The amount of money deposited by the employer with the competent authority under section 81.		
4. (a) Details of compensation paid, if any(b) Particulars of money invested for the benefit of dependents of deceased employee.		
5. Documents forwarded (in original) as under :—		
 (a) Death certificate (b) Disablement certificate from the competent medical authority (c) Receipt for Deposit of Compensation by the employer (d) Statement of Disbursement (e) Receipt of compensation from the employee/dependants (f) Memorandum of Agreement, if any 		
Dated: Competent authority.		

[F.No.R-11011/01/2021-SS-II] ANURADHA PRASAD, Special Secy.